महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – चौरासीवां संस्करण (माह मार्च, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. अभिप्रेरण
3. माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का जिला छिंदवाड़ा में आगमन
4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–तीन
5. मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना
6. नारी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में योगदान
7. स्व–सहायता समूह भी कर रहे है मुनगे की नर्सरी तैयार
8. आजीविका से हुई आत्मनिर्भर
9. सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश
10. बाल विकास – वृद्धि और विकास की समझ

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का तेरासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का तृतीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का दिनांक 2–4 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने छिंदवाड़ा जिले में आगमन हुआ। जिसे **''माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का जिला छिंदवाड़ा में आगमन''** एवं प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 का शुभारंभ दिनांक 5 मार्च 2023 को किया गया। जिसे **''सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश''** समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

साथ ही संस्करण में **''अभिप्रेरण''**, **''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–तीन''**, **''मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना''**, **''नारी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में योगदान''**, **''स्व–सहायता समूह भी कर रहे है मुनगे की नर्सरी तैयार''**, **''आजीविका से हुई आत्मनिर्भर''** एवं **''बाल विकास – वृद्धि और विकास की समझ''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

अभिप्रेरण

हम जहाँ काम करते हैं उन लोगों के बीच समझ और विश्वास बने रहना अति आवश्यक है और एक अभिप्रेरित व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में समझ और विश्वास का वातावरण बनाने में सक्षम होता है।

आखिर ये अभिप्रेरणा क्या है ?

किसी लक्ष्य तक पहुँचने और उसे प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले प्रयास ही अभिप्रेरणा है यह मनुष्य की आंतरिक इच्छा होती है जो उसे किसी विषेष लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये प्रेरित करती है। अभिप्रेरित व्यक्ति अपना प्रयास तब तक जारी रखता है। जब तक कि वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, जिसके लिये वह अभिप्रेरित है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उपरोक्त कौशल वही व्यक्ति सीख सकता है जो स्वप्रेरित हो। क्योंकि प्रेरणा भी दो प्रकार की होती है 1. बाहरी प्रेरणा 2. स्वप्रेरणा ।

जब कोई प्रेरित या उत्साहित करने वाला हो तब हम कार्य को बेहतर ढंग ये कर पाते हैं परन्तु ये परिस्थति आपके नियन्त्राण में नहीं होती मतलब यदि वो बाहरी प्रेरक चला जाये तो हम सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते ।

परन्तु दूसरी स्थति में हम स्वयं से प्रेरित होकर बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं। और ये स्थिति तब आती है जब आप उसे अपना मानते हैं। उदाहरण के लिये सोमवार से शनिवार तक आप अपने कार्यक्षेत्रों मे कार्य करते हैं शुक्रवार की शाम को आपका प्रेरणा का स्तर नापा जाये तो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होगा । क्यों ? क्योंकि उसका आधार है मेरा घर । और वो रविवार के लिये योजना बनाता है कि क्या क्या करना, कैसे करना है। क्योंकि यह घर उसका अपना होता है। जहां मेरा आता है वहां तीन चीजें अपने आप आ जाती हैं

1. जिम्मेदारी
2. सर्मपण
3. प्रतिबद्धता

उस स्थिति में आप उन परिस्थतियों के लिये स्वयं को जिम्मेदार मानते हुये पूरे सर्मपण एवं प्रतिबद्वता के साथ कार्य करते हो तो परिणाम तो बेहतर होगें ही। परन्तु जब यही व्यक्ति सोमवार को अपने कार्यक्षेत्र में आता है तो क्या उसका प्रेरणा का स्तर वहीं होता है जो शुक्रवार की शाम को था ।

यदि उत्तर हाँ में होगा तो वह व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में भी मेरे की भावना से आयेगा और जिम्मेदारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ बेहतर परिणाम के लिये प्रयत्नशील होगा। और यदि उत्तर नहीं में होगा तो वो कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेगा । गल्तियों के लिये दूसरों को जिम्मेदार ठहरायेगा। जिससे आपसी तनाव होगा कार्य करने के लिये अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा अतः खुद भी तनाव में रहेगा और दूसरों को भी तनाव देगा। अतः अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुये हमें जहां कहीं भी हम हों उसके लिये अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुये सहयोग की भावना से कार्य करने के लिये आगे आना चाहिये क्यों कि एक स्व प्रेरित व्यक्ति ही दूसरे को प्रेरित कर कार्य करा सकने में सक्षम होता है। अतः किसी लक्ष्य तक पहुंचने और उसे प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले प्रयास ही अभिप्रेरणा हैं यह मनुष्य की आंतरिक इच्छा होती है जो उसे किसी विषेष लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये प्रेरित करती है। अभिप्रेरित व्यक्ति अपना प्रयास तब तक जारी रखता है। जब तक कि वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। जिसके लिये वह अभिप्रेरित है।

अभिप्रेरणा का महत्व

- अभिप्रेरित जनप्रतिनिधि अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने की कोषिष करते हैं।
- अभिप्रेरित जनप्रतिनिधि अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये सदैव प्रयत्नषील रहते हैं।
- अभिप्रेरित जनप्रतिनिधि ज्यादा उत्पादन पर ध्यान देता है।
- कोई भी योजना या तकनीक तभी सफल हो पाती है जब कोई जनप्रतिनिधि उस पर काम करने के लिये अभिप्रेरित हो ।
- कोई भी काम छोटा या बड़ा, कम ज्यादा नहीं होता । एक अभिप्रेरित जनप्रतिनिधि अपने ही कार्य को रोचक और नये ढंग से करता है।
- एक अभिप्रेरित जनप्रतिनिधि का प्रभाव उसके साथ काम करने वाले अन्य लोगों पर भी पड़ता है। और उससे प्रभावित होकर समूह में काम करने वालों के व्यवहार में भी बदलाव आता है।
- अभिप्रेरणा अपने लक्ष्य या सफलता की ओर बढ़ने की कुंजी है।

अभिप्रेरण के तरीके

- स्वयं के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को पहचानें ।
- सकारात्मक पक्ष को बढ़ाने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करें ।
- अपनी सफलता का आनन्द लें परन्तु अहंकारी न बनें ।
- दूसरों की प्रषंसा करें
- सभी में कुछ न कुछ सकारात्मक गुण होते हैं। उन्हें जाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करें ।
- दूसरों को उनकी गल्तियों और कमियों के लिये बार–बार न टोकें ।
- अपनी कमियों से हतोत्साहित न हों बल्कि उन्हें दूर करने की कोषिष करें
- छोटी छोटी असफलताओं से विचलित न हों, यह असफलता भी आपके लिये प्रेरणा का कार्य कर सकती है।
- आशावादी नजरिया रखें। नई कार्य योजना बनायें और उसे पूरा करें ।
- आत्म संतुष्टि का अहसास अवष्य करें ।
- अपने आस–पास अभिप्रेरित व्यक्तियों से अवष्य मिलें, उनसे चर्चा करें ताकि सकारात्मक उर्जा का संचालन आप में होता रहे।

अन्त में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस काम को हम करते हैं उसे **हम प्रेम से करें**। यदि यह भाव होगा तो हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। विकास की इस यात्रा में आपके सहयोग की आवश्यकता होगी अतः यदि उपरोक्त कौशल यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं तथा वांछित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का जिला छिंदवाड़ा में आगमन

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का दिनांक 2–4 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने छिंदवाड़ा जिले में आगमन हुआ, 3 दिवसीय प्रवास के द्वौरान उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया गया, केंद्रीय मंत्री का आधिकारिक द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार माननीय मंत्री जी दिनांक 2 मार्च को विशेष प्लेन से नागपुर पहुंचें यहां से बाय कार शाम को उनका छिंदवाड़ा आगमन हुआ।

इसके उपरांत शाम 8:30 बजे छिंदवाड़ा जिले के सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया, इस अवसर पर श्री संजय कुमार सराफ संचालक महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान – मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा भी केंद्रीय मंत्री श्रीगिरिराज सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया, इसके उपरांत माननीय मंत्री जी द्वारा अधिकारीयों के साथ अल्पकालीन बैठक की गई। श्री संजय कुमार सराफ द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गई।

रात्रि विश्राम के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा 3 मार्च को दोपहर 09:30 बजे जिले के कार्यालय कलेक्टर

के सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की विभिन्न विभाग की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें अधिकारियों द्वारा जिलें में विभागीय योजनांतर्गत चल रहे कार्यों अद्यतन जानकारी माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गई, बैठक में श्रीमती शीतला पटले, कलेक्टर छिंदवाड़ा, श्री संजय कुमार सराफ संचालक महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, भोपाल से आये वरिष्ठ अधिकारीगण, श्री विनायक वर्मा, पुलिस अधीक्षक, श्री विवेक बंटी साहू भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिले के विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने, स्व–सहायता समूह की दीदियों को आजीविका बढ़ाने के अवसर देने एवं जिले में अन्य विकास एवं आजीविका संबंधी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इस कार्यक्रम के पश्चात् दोपहर में माननीय मंत्री जी द्वारा चांदमंडी में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में उपस्थित होकर हितग्राहियों को सम्बोधित किया।

इस कार्यक्रम के उपरांत माननीय मंत्री जी लगभग 4:30 बजे अमरवाड़ा पहुंचें जहां बारात घर में पंच परमेश्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में हिस्सा लिया गया एवं वहां प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

तद्पश्चात माननीय मंत्री जी, गिरिराज सिंह जी शाम 5:30 बजे जनपद पंचायत अमरवाड़ा विद्यालय प्रांगण में आयोजित स्व–सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल हुए जिसमें उन्होंने स्व–सहायता समूह की दीदियों को सम्बोधित किया तथा उनसे चर्चा की। इस कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधिगण, संबंधित अधिकारीगण एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रविन्द्र पाल
प्रोग्रामर

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–तीन

मध्यप्रदेश में पंचायतों का संचालन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में लागू किये गये प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

इस लेख में अधिनियम के प्रावधानों की सूची दी जा रही है। लेख की विषय–वस्तु के विस्तार को ध्यान में रखते हुये लेख को क्रमशः भागों में तैयार किया गया है। लेख के भाग–एक, 82वां अंक, माह–जनवरी, 2023 एवं भाग–दो 83वां अंक, फरवरी 2023 में प्रकाशित हो गये हैं। जिनमें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के स्वरूप एवं अध्याय एक से अध्याय पन्द्रह में उल्लेखित धारा 01 से 132 एवं अनुसूचियों का विवरण दिया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बनाये गये नियम

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के 11 वें अध्याय की धारा 95 में के अनुसार इस अधिनियम को कियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियम बनाये गये हैं। इस अंक में हम अधिनियम की धाराओं से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा बनाये गये प्रमुख नियमों की सूची दे रहे हैं। जो निम्नानुसार हैं :–

(1) म.प्र. ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 (धारा 6 (3)

(2) म.प्र. ग्राम सभा (अपील) नियम, 2001 (धारा 7–ज)

(3) म.प्र. ग्राम सभा (निर्धन व्यक्तियों को उधार की मंजूरी) नियम, 2001 (धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड टट के उपखण्ड 3)

(4) म.प्र. ग्राम सभा (बजट अनुमान नियम) नियम, 2001 (धारा 7–झ)

(5) म.प्र. ग्राम सभा (संपरीक्षा) नियम, 2001 (धारा 7–ट)

(6) म.प्र. ग्राम सभा (ग्राम कोष का संधारण) नियम, 2005 (धारा 7–ञ की उपधारा 1 एवं 4)

(7) म.प्र. ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति (गठन, कारबार संचालन और बैठक) नियम, 2010 (धारा 7–क की उपधारा 4)

(8) म.प्र. ग्राम सभा (स्थायी समितियों का गठन) नियम, 2012 (धारा 7–क की उपधारा 4)

(9) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जलप्रदाय योजना कियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 (धारा 7 की उपधारा 1)

(10) म.प्र. पंचायत (उपसरंपच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 (धारा 17, 25 व 32)

(11) म.प्र. पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरंपच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम 1994 (धारा 21 की उपधारा 2, धारा 28 की उपधारा 2, धारा 35 की उपधारा 2

(12) म.प्र. पंचायत सदस्य (प्रतिनिधि का नामाकंन) नियम, 1997 (धारा 22, धारा 29)

(13) म.प्र. पंचायत (पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र) नियम, 1995 (धारा 37)

(14) म.प्र. पंचायत निर्वाचन, 1995 (धारा 43)

(15) म.प्र. पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम 1994 (धारा 44 की उपधारा 1

(16) म.प्र. ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 (धारा 46 की उपधारा 3)

(17) म.प्र. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियां और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 (धारा 47 की उपधारा 4, 5, 6)

(18) म.प्र. पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य) नियम 1994 (धारा 48)

(19) म.प्र. ग्राम पंचायत (शवों, पशु शवों और घृणास्पद पदार्थो का व्ययन करने के लिये स्थानों का विनियमन) नियम, 1999 (धारा 49 का खण्ड 12)

(20) म.प्र. ग्राम पंचायत (मांस का विक्रय तथा परिरक्षण विनियमन) नियम, 1998 (धारा 49 का खण्ड 14)

(21) म.प्र. ग्राम पंचायत (निर्धन व्यक्तियों को उधारों की मंजूरी) नियम, 1995 (धारा 49 का खण्ड 28)

(22) म.प्र. ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस का निवारण तथा उपशमन) नियम, 1999 (धारा 54 का खण्ड 3 एवं 7, धारा 49 का खण्ड 1)

(23) म.प्र. ग्राम पंचायत (घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन) नियम, 1998 (धारा 54 का खण्ड 1)

(24) म.प्र. ग्राम पंचायत (संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने संबंधी शर्क्ति) नियम, 1999 (धारा 54 का खण्ड 2)

(25) म.प्र. पंचायत (पशु वधशाला का विनियमन) नियम, 1998 (धारा 54 का खण्ड 5)

म.प्र. पंचायत (ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम 1994 (धारा 58 की उपधारा 2

(26) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1999 (धारा 61 क से 61 छ)

(27) म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 (धारा 61–क से 61 ङ)

(28) म.प्र. पंचायत (स्थावर सम्पत्ति का अंतरण) नियम 1994 (धारा 65 की उपधारा 2)

(29) मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम, 2011 (धारा 69 की उपधारा 1)

(30) म.प्र. जनपद पंचायत (नौघाट प्रबंधन) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 1 का खण्ड घ)

(31) मध्यप्रदेश पंचायत आदिम जाति कल्याण शैक्षणिक (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2000 (धारा 70 की उपधारा 2)

(32) म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक सेवा (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम, 2005 (धारा 70 की उपधारा 2)

(33) म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 (धारा 70 की उपधारा 2)

(34) म.प्र. पंचायत (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उद्यानिकी सेवा भरती) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(35) म.प्र. पंचायत (मत्स्य पालन सेवा भरती) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(36) म.प्र. पंचायत (पशु सेवा भरती) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(37) म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 (धारा 70 की उपधारा 2)

(38) म.प. पंचायत (स्वास्थ्य सेवा भरती) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(39) म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(40) म.प्र. पंचायत (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कृषि सेवा भरती) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(41) म.प्र. पंचायत (महिला एवं बाल विकास सेवा भरती) नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(42) म.प्र. पंचायत (ग्रामीण विकास सेवा) भरती नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(43) म.प्र. पंचायत सेवा (कलाकर्मी) भरती नियम, 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(44) म.प्र. पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 (धारा 70 की उपधारा 2)

(45) म.प्र. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 (धारा 72)

(46) म.प्र. ग्राम पंचायत (मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियॉ तथा कृत्य) नियम, 1995 (धारा 72)

(47) म.प्र. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट) नियम, 1998 (धारा 73 की उपधारा 3)

(48) म.प्र. जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 (धारा 73 की उपधारा 3)

(49) म.प्र. जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 (धारा 73 की उपधारा 1)

(50) म.प्र. जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 (धारा 73 की उपधारा 1)

(51) म.प्र. ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 (धारा 73 की उपधारा 1)

(52) म.प्र. जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 (धारा 73 की उपधारा 3)

(53) म.प्र. ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 (धारा 73 की उपधारा 3)

(54) म.प्र. ग्राम पंचायत (वार्षिक लेखा तथा प्रशासन रिपोर्ट) नियम, 1998 (धारा 73 की उपधारा 3)

(55) म.प्र. पंचायत (भू–राजस्व पर उपकर की वृद्धि तथा वितरण) नियम, 1999 (धारा 74 की उपधारा 2)

(56) म.प्र. जिला पंचायत राज निधि नियम, 1998 (धारा 76 की उपधारा 1)

(57) म.प्र. जनपद पंचायत रंगमंच कर (अधिरोपण, निर्धारण तथा संग्रहण का विनियमन) नियम, 1996 (धारा 77 की उपधारा 1

(58) म.प्र. ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्ते तथा अपवाद) नियम 1996 (धारा 77 की उपधारा 1

(59) म.प्र. ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 1996 (धारा 77 की उपधारा 2

(60) म.प्र. ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 2001 (धारा 77–क, उपधारा 1)

(61) म.प्र. ग्राम सभा वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 2001 (धारा 77–क की उपधारा 2)

(62) म.प्र. जनपद पंचायत (कृषि भूमि पर विकास कर अधिरोपण) नियम, 1999 (धारा 77 की उपधारा 3, धारा 78 की उपधारा 1)

(63) म.प्र. पंचायत (करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा विनियमन) नियम, 1995 (धारा 78 की उपधारा 1)

(64) म.प्र. पंचायत (कराधान के विरूद्ध अपीलों की रीति तथा परिसीमा) नियम, 1995 (धारा 79)

(65) म.प्र. ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत (फीस संग्रहण का पट्टा) नियम, 1995 (धारा 80)

(66) म.प्र. पंचायत (अभिलेखों तथा प्रतियों का निरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 84 की उपधारा 1, 2)

(67) म.प्र. पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 85 की उपधारा 1, 2)

(68) म.प्र. पंचायत (पंचायतों और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच संबंधों का विनियमन) नियम 1994 (धारा 90 की उपधारा 2)

(69) म.प्र. पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 91)

(70) म.प्र. पंचायत (अभिलेखों तथा वस्तु की वापसी और धन की वसूली) नियम, 1995 (धारा 92 की उपधारा 2)

(71) म.प्र. पंचायत (पत्र व्यवहार) नियम, 1995 (धारा 95 की उपधारा 1)

(72) म.प्र. जिला पंचायत (कार्य) नियम, 1998 (धारा 95 की उपधारा 1)

(73) म.प्र. पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम, 1999 (धारा 95 की उपधारा 1)

(74) म.प्र. पंचायत (उपविधियां) नियम 1994 (धारा 96 की उपधारा 4)

(75) म.प्र. पंचायत (सरकार या वित्तीय संस्थाओं से ऋणं) नियम 1999 (धारा 115)

(76) म.प्र. पंचायत (अवूसलनीय राशियॉ) सेवा भर्ती नियम, 1995 (धारा 116)

(77) म.प्र. पंचायत (संविदा निष्पादन का तरीका) सेवा भर्ती नियम, 1995 (धारा 116)

(78) म.प्र. जिला पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 (धारा 117)

(79) म.प्र. जनपद पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 (धारा 117)

(80) म.प्र. ग्राम पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 (धारा 117)

(81) म.प्र. पंचायत (सूचना तथा दस्तावेज की तामील की पद्धति) नियम, 1995 (धारा 119)

(82) म.प्र. पंचायत निर्वाचन याचिका प्रतिभूति निक्षेप (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1996 (धारा 122)

(83) म.प्र. पंचायत (निर्वाचन अर्जियां, भ्रष्टाचार और सदस्या के निरर्हता) नियम, 1995 (धारा 122 की उपधारा 1, 3)

(84) म.प्र. पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम 1994 (धारा 125 की उपधारा1, धारा 126 की उपधारा 1, धारा 127 की उपधारा 1)

(85) म.प्र. पंचायत (सरकारी भूमियों का प्रबंधन) नियम, 1995 (धारा 128)

(86) म.प्र. पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997 (धारा 129 की उपधारा 1)

(87) म.प्र. अनूसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 (धारा 129 ख)

(88) म.प्र. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए, आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999 (धारा 129 ङ की उपधारा 1)

(89) मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 (मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 क से 129 च तक, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40))

इस प्रकार से लेख के इस भाग में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के भाग – तीन में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की जानकारी दी गई है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

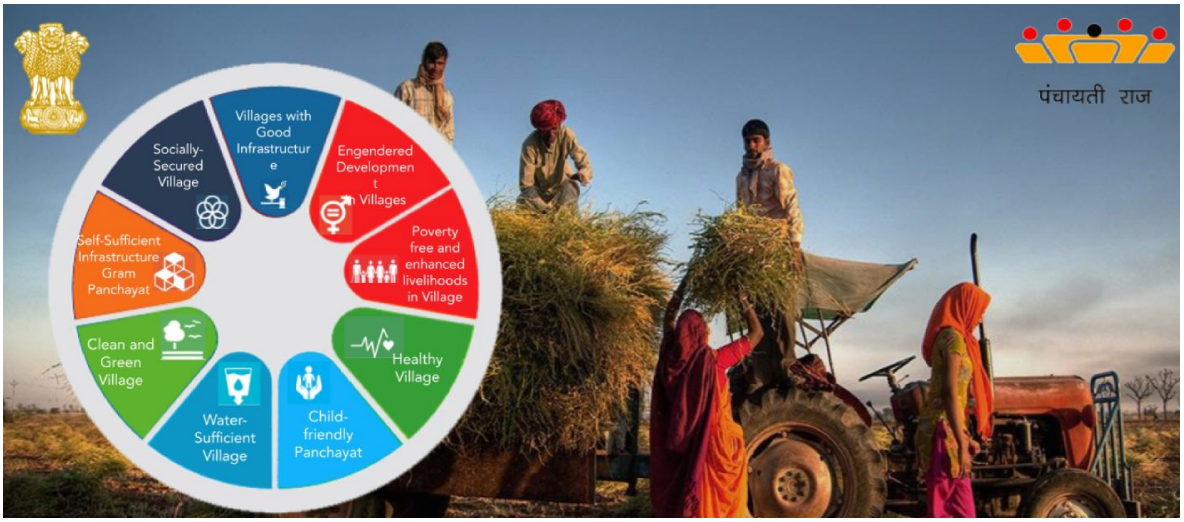

मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना

प्रत्येक परिवार को न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के साथ सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने का अधिकार है। केन्द्र या राज्य सरकार की आवास योजना का वास्तविक लाभ हितग्रहियों को तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आवास निर्माण हेतु भू–खण्ड उपलब्ध हो।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू – खण्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना प्रारम्भ की गई है। योजना में जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है और स्वयं की भूमि भी नहीं है ऐसे प्रत्येक परिवार को शासन द्वारा 60 वर्ग मीटर का निःशुल्क भू – खण्ड आबंटित किया जाएगा।

पात्रता

- आवेदक परिवार के पास स्वतन्त्र रूप से रहने के लिए आवास न हो।
- परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो।
- परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची हो।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो ।
- परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो।
- आवेदक का नाम ग्राम की मतदाता सूची में दिनांक 01 जनवरी 2021 तक की स्थिति में नाम दर्ज हो।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक द्वारा आवासीय भू खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन SAARA पोर्टल (स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन) के माध्यम से किया जाएगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव एवम पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर परीक्षण प्रतिवेदन तहसील कार्यालय प्रेषित किया जाएगा। पात्र, अपात्र परिवारों की ग्राम

पंचायत वार सूची प्रकाशित कर ग्राम के निवासियों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए जायेंगे। तहसीलदार इनका परीक्षण कर पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर ग्राम सभा को प्रेषित करेगें। ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात तहसीलदार द्वारा पात्र आवेदकों को भू खण्ड आबंटन हेतु आवासीय भू अधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। योजना के अंर्तगत भू स्वामी अधिकार पत्र पति पत्नी के संयुक्त नाम से प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंर्तगत पात्र परिवारों को आवासीय भू खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवम बैंक से आवासीय ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और स्वयं के आवास के लिए भूमि का अधिकार मिलने से परिवारों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

राजीव लघाटे
मु.का.अ.ज.पं.

नारी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में योगदान

"अत्र पूज्यंते नारी तत्र रमन्ते देवता "

राष्ट्र निर्माण में न केवल पुरूषों ने वल्कि महिलाओं ने भी आगे बढ़कर योगदान दिये हैं और उनके योगदान अविष्मरिणीय है। नारी शक्ति ने समाज में सुयोग्य नागरिको को जन्म दिया है व स्वंम चिकित्सक वनकर मानव सेवा की है अध्यापिका बनकर आगे की पीढी को शिक्षित किया है व राष्ट्र निर्माण में नेतृत्व की भूमिका भी अदा की है

अंतरिक्ष की उड़ान हो या हिमालय की चोटी पर चढ़ाई हो महिलायें कभी पीछें नहीं हटी है महिलाओ ने हर क्षेत्र में पुरूषो के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य किया है महिला पुरूष एक ही गाडी के दो पहिये है। संसार की कल्पना भी नारी के बिना नहीं की जा सकती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने सदैव ही बढ़चढ कर भाग लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, श्रीमती सरोजनी नायडु, श्रीमती सुचेता कृपलानी आदि ऐसे नाम है जिसकी कुर्वानी भुलाई नही जा सकती। राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी की एक पुकार पर महिलायें घर से निकलकर स्वाधीनता संग्राम मे कूंदकर पुरूषो के साथ मिलकर लडाई लड़ती रही थीं।

आज भारत में महिलायें विदेश सेवा, विश्वविद्यालयो में प्राध्यापक, न्यायपालिका में निचली अदालतों से लेकर उच्चतमन्यायालय मे न्यायाधीश, इन्जीनियर, डॉक्टर, संसद, व विधानसभा में सदस्य, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पदों को शुशोभित कर चुकीं हैं एवं वर्तमान में भी कर रहीं हैं। सुरक्षा सेनाओं में सैनिक से

लेकर अधिकारी, वकील, वायु सुरक्षा अधिकारी, घुड़सवार व योग्य खिलाड़ी भी है। श्रीमती किरन वैदी पूर्व पुलिस अधिकारी, प्रेम माथुर वायु सुरक्षा अधिकारी रोशन सेठी महिला घुडसवार आरती गुप्ता इंगलिश चेनल तैराक शीला सेठ महिला न्यायाधीश माधुरी शाह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष गीता जुतसी महान खिलाडी गीता घोष छाताधारी सैनिक डॉ प्रेमा मुखर्जी महिला सर्जन डॉ. पदमावती हृदयरोग विशेषज्ञ ये सब कीर्ति स्तम्भ बन चुकीं हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में व साहित्य, संगीत, चित्रकला व अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओ के द्वारा दिये गये योगदान अत्यन्त प्रशंसनीय है। भारत रत्न से सम्मानित सुश्री स्व0 लतामंगेशकर व सुश्री स्व0 कल्पना चावला एवं मेडम बछेन्द्री पाल के नाम सदेव आदरपूर्वक याद किये जाते रहेंगे।

राजनीति मे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी श्रीमती प्रतिभा पाटिल व श्रीमती द्रोपती मुर्मू सिरमौर है वही विदेशों में श्रीमती भंडार नायके श्रीमती गोल्डा भावर श्रीमती मार्गेट थ्रेचर सदैव स्मरण किये जाती रहेंगी। वहीं विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्षता करके भारत का नाम गोरवान्वित किया है वहीं विदेशी नारी शक्ति श्रीमती विली जीन किंग ने टेनिस में व जुकोतवाई ने माउन्ड एवरेस्ट की चढ़ाई में व तैरो स्कोवा मे अंतरिक्ष यात्रा कर के अपनी अमिट छाप छोड़ी है नेत्रहीनो की ज्योति हैलन केलर व करूणा एवं स्नेह की मूर्ति मदर टेरिसा, महिला मताधिकार के लिये लड़ने वाली ईमीलाइन पैक हर्स्ट के योगदानों को कभी भुलाया नही जा सकेगा।

यह भी सही है कि सामंतकालीन युग मध्यकालीनयुग एवं मुग्लकालीन युग में एव स्वाधीनता के पूर्व महिलायें अनेक कुप्रथाओं से पीड़ित रहीं हैं जिनमें सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बालविवाह, भ्रूण हत्या, छुआ–छुत प्रमुख हैं तथा सदियों तक महिलाओं को पुरूषों से दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है तथा उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया लेकिन उनके लगातार संधर्ष पूर्ण जीवन जीने से वह समाज में आगे बढ़ती रहीं व अत्याचार व अनाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहीं और आज समाज के हर क्षैत्र में अपना अमूल्य योगदान देते हुअे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहीं हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलायें आत्मनिर्भर बन रही है एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहीं हैं। अब सभ्य एवं प्रगतिरत समाज में महिला उत्पीड़न के लिये कोई भी स्थान नही होना चाहिये तथा समाज में वालिकाओं व महिलाओं के प्रति घटित हो रहे अपराधों में पूर्णतः रोक लगाानी ही होगी तभी हमारी नारी शक्ति भयमुक्त वातावरण में आगे बढ़कर अपना परचम और तेजी से लहरा सकेंगीं। और यही कदम वास्तविक महिला सशक्तिकरण का होगा।

जनवेद सिंह यादव,
संकाय सदस्य

स्व–सहायता समूह भी कर रहे है मुनगे की नर्सरी तैयार

आजीविका मिशन विकास खण्ड शाहगढ के ग्राम हनुमानटौरा में श्री गणेश स्वसहायता समूह की महिलाओ द्वारा मुनगा की नर्सरी तैयार की जा रही है इस मुनगा उत्पादन का उदेश्य है ग्रामीण महिलाओ एवं बच्चो को कुपोषण से दूर करना है सामान्यतः मुनगा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन एंव विटामिनस पाया जाता है अब तक श्री गणेश स्वसहायता समूह द्वारा 400 पौधे 10 समूह की महिलाओ द्वारा तैयार किये गये हे मुख्य रूप से स्वसहायता समूह अध्यक्ष जयोति पटेल व सचिव रामरति पटेल द्वारा विशेष रूप इस नर्सरी को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

आजीविका मिशन शाहगढ़ में अभी जून माह से लेकर जुलाई माह तक विभिन्न ग्रामो में मुनगो की नर्सरी का कार्य होगा आजीविका मिशन विकास खण्ड शाहगढ नर्सरी का कार्य अनूप तिवारी जिला परियोजना प्रबेधक एवं विकास खण्ड सहायक प्रबधंक अम्बिका ठाकुर के मार्ग दर्शन मे हो रहा है।

चूंकि मुनगें की खेती में लोगों का रूझान धीरे धीरे कम हो गया है और ग्रामीण मुनगे का महत्व न समझ रखने के कारण ग्रामो में कुपोषण के शिकार हो रहे है इसलिए सरकार विभिन्न विभागो की योजनाओ के माध्यम से मनगे के वृक्षा रोपण करने हेतु जोर दे रही है ताकि ग्रामो में महिलाएं, बच्चे एवं अन्य में पोषक तत्व की कमी न हो और मातृ मत्यु दर एवं शिशु मत्यु दर को कम किया जा सके और गांव में जिन बच्चो का बजन अत्यंत न्यून होता है उनकी न्यूनता का खत्म किया जा सके।

लवली मिश्रा
संकाय सदस्य

आजीविका से हुई आत्मनिर्भर

परिवारिक पृष्ठभूमि –

कु. कनी बामनिया के परिवार में कुल 8 सदस्य है जिनमें उसके पिताजी कृषि करते हैं घर में उसकी मॉ इसके अतिरिक्त भाई अतिथि शिक्षक है । माता–पिता एवं एक छोटी बहन भी है, जो की कटलरी की दुकान चलाती है। इनके परिवार में पास कुल 5 बीघा जमीन है। इनके द्वारा मुंगफली गेहू, चना एवं कपास की फसल ली जाती है।

बीसी सखी से जुडने की पूर्व की स्थिति –

कु. कनी बामनिया एवं इनका पूरा परिवार कृषि संबंधित गतिविधियों पर ही निर्भर था । परिवार में सदस्य संख्या अधिक होने से आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर थी । कृषि कार्य से घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। अतः वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद् करना चाहती थी जिससे उसका परिवार गरीबी चक्र से बाहर निकलकर अपने परिवार को एक अच्छा सम्मान पूर्वक जीवन प्राप्त कर सकें ।

बीसी के रूप में कैसी जुडी –

कु. कनी को जनपद के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला की उसके गांव में भी स्वय सहायता समूह बनाये जा रहे है । अतः समूह संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर वह समूह में सदस्य के रूप में जुड गई । समूह में जुडने के पष्चात मीटिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई की बैंक में बीसी का कार्य समूह की महिलाओं को दिया जा रहा । अतः इनके द्वारा बीसी सखी का कार्य करने की इच्छा जाहीर की तथा समूह के सहयोग से इन्हें एमपीजीबी बैंक में बीसी सखी का प्रशिक्षण प्राप्त कर आरएसटी में 10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बीसी सखी का कार्य प्रारंभ किया ।

बीसी सखी के रूप में जुडने के बाद की स्थिति –

बीसी सखी से जुडने के उपरांत उसके जीवन में एक सकारात्मक प्रभावषाली परिवर्तन देखने को मिला सर्वप्रथम उसके आत्मविष्वास में काफी बढोतरी हुई । इस कार्य के माध्यम से वह अपने परिवार को गरीबी के चक्र से बाहर ला सकती है आज कु कनी बामनिया अपनी खुद की कियोस्क बैकिंग की शॉप चला रही है तथा बीसी सखी के माध्यम से होने वाली आय से इनके द्वारा फोटोकॉपी मशीन एवं लैपटॉप बैंक से ऋण प्राप्त हुआ जिसमें 15000/– का अनुदान भी प्राप्त हुआ । इस सभी कार्य के माध्यम से उसकी मासिक आय 7000 से 12000 तक हो जाती है तथा अपने परिवार को आर्थिक मदद् भी कर पा रही है तथा इस कार्य के माध्यम से ना केवल उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। अपितू घर निर्णय में भी उसकी भागीदारी बढ़ी है ।

समूह में जुड़ने के पष्चात इनके द्वारा बुक कीपर का प्रषिक्षण एवं बीसी सखी का प्रषिक्षण भी प्राप्त किया है।

कु. कनी अपने वर्तमान कार्य से बेहद खुश है तथा वे अपने कार्य से समूह की बहनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आजीविका मिषन से जुडने के बाद आत्मनिर्भर एवं आत्मविष्वास के साथ में निरंतर आगे बढ़ रही है साथ ही वह शासन को इस महत्वूपर्ण योजना के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है ।

प्रकाश पुरकर,
संकाय सदस्य

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा **मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023** का शुभारंभ दिनांक 5 मार्च 2023 को किया गया।

योजना अंतर्गत पात्रता एवं अपात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है–

योजना अंतर्गत पात्रता

- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
- विवाहित हो जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में ,01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

योजना अंतर्गत अपात्रता–योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी

- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग /उपक्रम /मंडल/स्थानीय निकाय में नियमित /स्थाईकर्मी /संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- जो स्वयं भारत सरकार /राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपए 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित /मनोनीत /बोर्ड /निगम/मंडल/ उपक्रम के अध्यक्ष /संचालक सदस्य हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।

- जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित)हो।

योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले कैंप में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज

- समग्र आईडी (समग्र आईडी में ई E–KYC अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट ना हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लिया जावे) तथा कैंप में समग्र आईडी साथ लाना है।
- आधार कार्ड (आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट ना हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लिया जावे)तथा कैंप में आधार कार्ड साथ लाना है।
- आवेदिका के स्वयं का बैंक खाता पासबुक (बैंक खाता पासबुक उपलब्ध ना होने की स्थिति में खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड उपलब्ध होना चाहिए) आवेदिका का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए एवं बैंक खाते में DBT Enable होना चाहिए।

पंकज राय
संकाय सदस्य

बाल विकास – वृद्धि और विकास की समझ

पिछले अंक में हमने विकसा की अवधारणा पर बात की थी । विकास के संबंध में आगे चर्चा करने से पहले **वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इस पर समझ बनना आवष्यक है ।**

सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं जबकि वास्तव में यह दोनों शब्द वृद्धि और विकास अपना अलग .अलग अर्थ एवं महत्व बताते हैं।

वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है।किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात् ही प्रारंभ होती है और बीस वर्ष की उम्र के आस.पास समाप्त हो जाती है।वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।

किसी व्यक्ति की ऊंचाई, वनज, उम्र आदि बढ़ने को वृद्वि से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा उम्र में वृद्धि करता है उम्र के साथ उसमें शारीरिक बदलाव आते है जैसे की उसकी ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, उसकी उम्र बढ़ना आदि ये सभी वृद्वि में सम्मिलित होते है। वृद्वि वह है जिसे आका या मापा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो वृद्वि हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चा माँ के पेट मे पल रहा होता है तब 9 महीने तक उसके हाथए पैर, नाक कान आदि की वृद्वि होती रहती है। जैसे ही वह जन्म लेता है तो इसके बाद भी उसमे किसी एक निश्चित उम्र तक वृद्वि होती रहती है। जिसमे उसकी उम्र, वनज, कद, दांत आदि यह कुछ ऐसी शारीरिक वृद्धि होती है जो किसी एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। उदाहरणस्वरूप सामान्यतः इंसान का कद 20 की उम्र के बाद नहीं बढ़ता है।

ऊपर आपने वृद्वि के बारे में जाना, अब जानते है की आखिर विकास वृद्वि से भिन्न कैसे होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है बल्कि इसके अंतर्गत के प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात भी निरंतर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं।अतः प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति ही विकास कहलाती है।

जब भी व्यक्ति भौतिक, सामाजिक और पारिवारिक जैसे कारकों के संबध में विकसित होता है तो इसे विकास से परिभाषित किया जाता है। यह प्रक्रिया वृद्वि की तरह निश्चित नही है। यह उम्र भर चलता रहता है। विकास व्यक्ति की बोलचाल, गुणों और सुधार को दर्शाता है। विकास में व्यक्ति के व्यवहार में और उसके बर्ताव में होने वाले बदलावों के बारे में पता चलता है। विकास में किसी व्यक्ति की सिर्फ शारीरिक वृद्धि ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें सोचने समझने की शक्ति भी शामिल है।

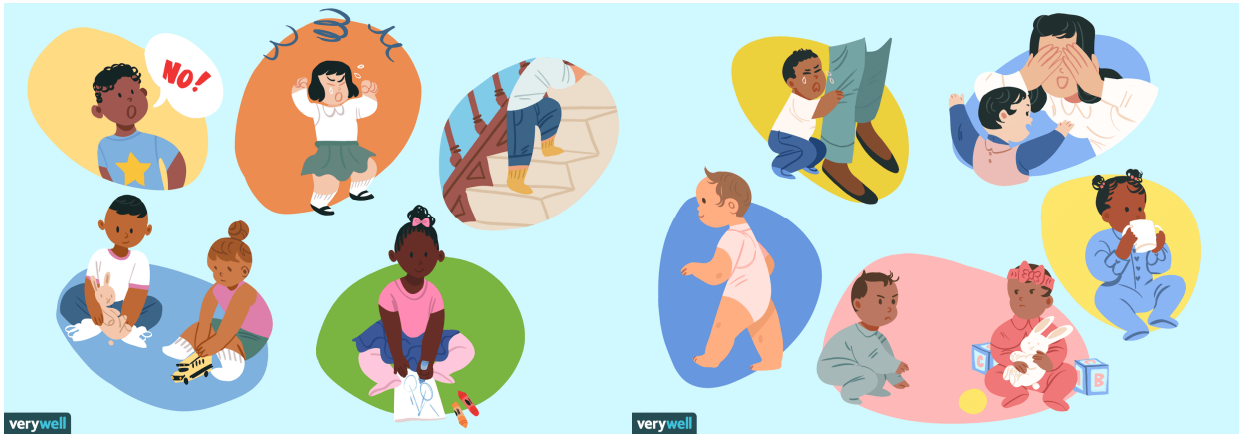

वृद्धि और विकास में अंतर	
वृद्धि	**विकास**
वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते है	विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते है।
वृद्धि मात्रात्मक होती है	विकास गुणात्मक होता है
वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है	विकास जीवन पर्यंत तक चलता है
मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है	विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतक्रिया से होता है
वृद्धि विकास का एक भाग है	विकास एक व्यापक क्षेत्र है
वृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंग की दर्शाती है	विकास के अंतर्गत सम्पूर्ण भागों में परिवर्तन होता है
वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाहय दोनो रुप में हो सकती है।	विकास की प्रक्रिया सिर्फ आतंरिक रुप से ही हो सकती है
वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक परिर्वतनों को बदलती है।	विकास किसी व्यक्ति के चरित्र को बदलता है।
वृद्धि को संरचनात्मक कहा जा सकता है	विकास को कार्यात्मक माना जा सकता हैं
वृद्धि द्वारा हुए परिवर्तनो को प्रत्यक्ष रुप से देख सकते एवं नापा भी जा सकता हैं	विकास के द्वारा हंए परिर्वतनो को सीधे नापा नही जा सकता

डॉ. वंदना तिवारी,
व्याख्याता